Hkfedk

खाद्य उद्योग के क्षेत्र में विगत दो दशकों में भारत ने काफी तेजी से प्रगति की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हो रहे नित नए खोजों और आविष्कार का प्रयोग कर खाद्य उद्योग ने अपने को और अधिक सामर्थवान बनाया हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, भारत वर्ष में सालाना 250,000 करोड़ रुपये से अधिक का खाद्य कारोबार होता है। आने वाले वर्षों में 30 से 40 फीसदी वार्षिक दर से इसमें वृद्धि होने की संभावना है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या और ग्रामीण बाजारों का तेजी से हो रहा विस्तार इस संभावना की पुष्टि करता है।

नब्बे के दशक के बाद, उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होने से, भारत में देशी और विदेशी कंपनियों ने अपने कारोबार का विस्तार शुरू कर दिया था। उपभोक्ताओं की जरूरत, जेब और मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पादों का विनिर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग) और प्रसंस्करण किया जाने लगा। उत्पादन की अधिकता और अधिक लाभ कमाने की लालसा ने कंपनियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा की शुरुआत की। इसके कारण बाजार में अधिक से अधिक अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने और उपभोक्ताओं को प्रभावी ढंग से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विनिर्माण और विपणन के कारोबार में लगी कंपनियाँ तरह–तरह के हथकंडे अपनाने लगीं। कभी सेल और छूट के सहारे, तो कभी एक के साथ दूसरा फ्री देने का लालच दिया जाने लगा। समाचार–पत्रों और टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों में कंपनियों द्वारा एक से बढ़कर एक दावे किए जाते हैं। इन विज्ञापनों के तिलिस्म और चकाचौंध से प्रभावित उपभोक्ता एक तरफ जहाँ अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई को बर्बाद करता है, वहीं कई बार इन उत्पादों की वजह से उसके स्वास्थ्य को भी काफी नुकसान पहुँचता है।

दूसरी तरफ आधुनिक प्रौद्योगिकी और तकनीकी का इस्तेमाल कर असली ब्रांड के उत्पादों से मिलते–जुलते नकली उत्पादों का विनिर्माण और विपणन शुरू हो गया। इन उत्पादों का विक्रय नगर के कम विकसित इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेआम किया जाता है। उपभोक्ता उत्पादों पर शोध करने वाली प्रतिष्ठित कंपनी एसी निल्सन के सर्वे के मुताबिक, बाजार में बिकने वाली दैनिक उपभोग की वस्तुओं (इसमें खाद्य उत्पाद भी शामिल हैं) में, प्रत्येक दस में से तीन सामान नकली हैं। कमोबेश यही स्थिति अन्य उत्पादों के मामले में भी है। इन नकली और ब्रांडेड उत्पादों से मिलते जुलते सामानों की वजह से प्रत्येक वर्ष लगभग 10 हजार करोड़ रुपये से

अधिक के राजस्व का नुकसान भारतीय उद्योग को होता है।

सरकार द्वारा खाद्य उद्योग को नियंत्रित करने, कालाबाजारी को रोकने तथा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करने के लिए, खाद्य अप–मिश्रण उन्मूलन अधिनियम, 1954 तथा नियम, 1955, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन लागू विभिन्न आदेश, कालाबाजारी अवरोधक एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1980, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986, एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार (एमआरटीपी) अधिनियम, 1969, शिशु दुग्ध एवं शिशु आहार अधिनियम, 1992, मीट फूड प्रोडक्ट्स आर्डर, 1973, वेजीटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स (रेगूलेशन) ऑर्डर, 1998, प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 आदि अनेकों कानून बनाए गए हैं। इसके अलावा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा अनेकों आदेश भी लागू हैं। लेकिन इन कानूनों का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होने से नकली और मिलावट के काले कारोबार पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पा रहा है।

इन सब के बीच वर्ष 2006 में खाद्य क्षेत्र में लागू सभी कानूनों और आदेशों को एक साथ लाने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 नामक एक महत्वपूर्ण कानून बनाया गया। इस अधिनियम के माध्यम से घरेलू और आयात दोनों ही खाद्य बाजारों को नियंत्रित करने की कोशिश की गयी है, ताकि उपभोक्ता को सुरक्षित खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। यहाँ इस बात का उल्लेख आवश्यक है, कि केवल खाद्य उद्योग को नियंत्रित करने मात्र से ही उपभोक्ता को सुरक्षित भोज्य पदार्थ की उपलब्धता नहीं सुनिश्चित की जा सकेगी, बल्कि इसके लिए उपभोक्ताओं को स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा, और उन्हें साफ–सफाई के नियमों का कड़ाई से पालन करना पड़ेगा, ताकि स्वास्थ्यकर और सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

[kk| D;k g\

सामान्य अर्थ में खाद्य का आशय, खाने योग्य पदार्थ से होता है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के मुताबिक, ''खाद्य का अभिप्राय ऐसे किसी भी पदार्थ से है, जो प्रसंस्कृत है अथवा आंशिक रूप से प्रसंस्कृत किया गया है, या प्रसंस्कृत नहीं किया हुआ है, तथा जो मानव द्वारा उपभोग किया जाता है या उपभोग के लिए है। इसमें प्राथमिक खाद्य, अनुवांशिक रूप से उपांतरित (जीएम फूड), शिशु खाद्य, पैक किया गया पीने का पानी, पीने के लिए प्रयोग किए जाने वाला अल्कोहल, चिविंगम, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद, खाद्य पदार्थों के विनिर्माण के दौरान तथा उपचार के दौरान प्रयुक्त होने वाला जल भी शामिल है।''

किन्तु इसमें कोई पशु खाद्य, कोई जीवित पशु तब तक, जब तक कि उसे मानव उपभोग के लिए बाजार में लाने हेतु तैयार या प्रसंस्कृत नहीं किया जाता, कटाई से पूर्व पौधे, औषधि और औषधि उत्पाद, सौन्दर्य प्रसाधन के सामान, मादक तथा नशीले पदार्थ शामिल नहीं हैं।

[kk| lqj{kk D;k g\

खाद्य सुरक्षा का आशय सुरक्षित खाद्य पदार्थ है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा खाद्य पदार्थ जो मानव द्वारा आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसका मानव जीवन पर विपरीत प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। बल्कि, वह मानव जीवन के लिए सुरक्षित होना चाहिए। यानि, कोई ऐसा खाद्य पदार्थ जिसका विनिर्माण, भंडारन, वितरण, विक्रय अथवा आयात मानव उपभोग के लिए किया जाता है। वह उपभोक्ता के जीवन को नुकसान न पहुँचाए अथवा उसके उपभोग से किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न न हो, बल्कि वह उपभोक्ता के सेहत में वृद्धि करे और उसके स्वास्थ्य को पोषण प्रदान करे।

[kk| inkFkksa dk lqjf{kr gksuk D;ksa vko';d g\

भारत जैसे विकासशील देश में जिसकी दो तिहाई आवादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और जहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों लोग प्रदूषित आहार और जल ग्रहण कर अतिसार, पेचिस, हैजा, पीलिया जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गवाँ बैठते हैं। इसका प्रमुख कारण एक तरफ जहाँ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उसमें पोषक तत्वों के कमी का होना है, वहीं दूसरी तरफ साफ–सफाई के प्रति आम आदमी की लापरवाही एवं जागरूकता का अभाव भी है। हमारे देश के

ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाली अधिकतर जनता आज भी अशिक्षा और गरीबी के कारण स्वास्थ्य और साफ–सफाई के नियमों का पालन पूरी तरह से नहीं करती। अतः ऐसे देश में न सिर्फ खाद्य पदार्थों का सुरक्षित एवं स्वास्थ्यप्रद होना आवश्यक हैं, बल्कि लोगों को साफ–सफाई के नियमों के प्रति जागरूक करने की भी नितांत आवश्यकता है।

l|jf{kr [kk| dh fo'k"krk,|

सुरक्षित खाद्य पदार्थ की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं–

- इसका विनिर्माण साफ–सफाई के साथ स्वच्छ वातावरण में किया जाता है।
- इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है।
- सुरक्षित खाद्य पदार्थ स्वच्छता के साथ पकाया जाता है।
- इसमें किसी अन्य हानिकारक तत्व की मिलावट नहीं होती है।
- इसमें पोषक तत्वों की उचित मात्रा मौजूद होती है।
- इसके प्रयोग या उपभोग से जीवन को किसी प्रकार का खतरा या नुकसान नहीं होता है।

[kk| inkFk d l vljf{kr vkj gkfudkjd gk tkr g\

खाद्य पदार्थ निम्नलिखित प्रकार से असुरक्षित तथा हानिकर हो जाते हैं–

- जब किसी खाद्य पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, तथा भंडारन स्वच्छ वातावरण में नहीं किया जाता है, तो वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है।
- जब भोजन को पकाने तथा परोसने में साफ–सफाई तथा स्वच्छता के नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो वह हमारे जीवन के लिए असुरक्षित तथा हानिकर हो जाता है।
- प्रदूषित जल पीने, प्रयोग करने या ऐसे जल से भोजन पकाने पर।
- बिना ढ़का हुआ अथवा बासी भोज्य पदार्थ के खाने से।
- व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सफाई के नियमों का पालन न करने पर।
- खाद्य पदार्थ में हानिकारक तत्वों के मिलावट होने पर।

[kk| inkFkk e feykoV

वर्तमान अर्थप्रधान युग में नैतिकता का पक्ष पीछे छूटता जा रहा है। आज व्यापार

और कारोबार में संलग्न लोगों में अधिकतर का उद्देश्य 'येन–केन–प्रकारेण' अधिक से अधिक लाभ कमाना हो गया है। ऐसे में अनैतिक एवं असामाजिक कृत्य होना लाजमी है। खाद्य वस्तुओं के विक्रय, विपणन एवं उत्पादन से जुड़े लोगों द्वारा अधिक लाभ कमाने की लालसा से खाद्य पदार्थों में तरह–तरह की हानिकारक वस्तुएँ मिलाकर बेची जा रही हैं। ऐसी वस्तुएं उपभोक्ता को धन और स्वास्थ्य के रूप में दोहरा नुकसान पहुँचाती हैं।

विगत कुछ वर्षों में हम सभी को खाद्य पदार्थों में मिलावट के अनेकों मामले पत्र–पत्रिकाओं एवं समाचार चैनलों में पढ़ने, सुनने और देखने को मिले हैं। दूध, मक्खन, मावा, घी आदि दुग्ध उत्पादों में तो मिलावट इस कदर बढ़ गया है कि अब तो लोग इन उत्पादों के प्रयोग करने से कतराने लगे हैं। त्योहारों के अवसर पर माँग एवं पूर्ति का संतुलन बिगड़ने लगता है, ऐसे समय मिलावट के काले कारोबार का बाजार और भी गर्म हो जाता है। पहले तो दूध में केवल पानी मिलाया जाता था। लेकिन अब यह बीते दिनों की बात हो गयी है। आज दूध में यूरिया और डिटरर्जेन्ट जैसे खतरनाक और घातक तत्वों की मिलावट की जा रही है। जानवरों की हड्डियों एवं चर्बी से घी बनने लगे हैं। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है।

यहाँ हम खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, ताकि उपभोक्ताओं में जागरूकता का प्रसार कर उनको धोखाधड़ी से बचाया जा सके।

[kk| lkexh e feykoV dk vk'k;

सामान्य अर्थ में मिलावट तब समझा जाता है, जब किसी एक वस्तु में उससे मिलती–जुलती दूसरी वस्तु को मिला दिया जाय। लेकिन, खाद्य पदार्थों में मिलावट तब मानी जाती है, जब मिलावट के परिणामस्वरूप मूल पदार्थ की गुणवत्ता, मात्रा, स्वाद आदि में कमी अथवा विकृति आ जाए।

खाद्य पदार्थ	+	मिलावट	=	गुणवत्ता में कमी या विकृति

[kk| inkFkk e feykoV dh Jf.k;k

खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट को निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है–

1- lLrs o ?kfV;k fdLe ds rRoks dk feJ.k

2- LokLF; d fy, gkfudkjd rRok dh feykoV

3- ey inkFk l ik"kd rRok dk fudkyuk

[kk| inkFkk e feykoV dh Jf.k;k

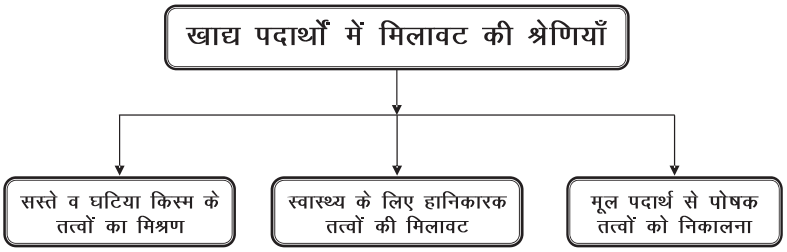

1- lLr o ?kfV;k fdLe d rRok dk feJ.k % कुछ व्यापारी एवं कारोबारी अधिक लाभ कमाने की भावना से मूल खाद्य पदार्थ में, सस्ते व घटिया किस्म के पदार्थों की मिलावट करते हैं। जिससे मूल खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में कमी आ जाती है तथा व्यापारी के लाभ का प्रतिशत बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए– दूध में पानी मिलाना, देसी घी में वनस्पति घी का मिलाया जाना, खाद्यान्नों में भूसी तथा कंकड़ आदि मिलाना।

2- LokLF; d fy, gkfudkjd rRok dh feykoV % कभी–कभी खाद्य पदार्थों में ऐसे तत्वों की मिलावट की जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य और शरीर को नुकसान पहुँचा सकते हैं। ऐसे तत्वों को दूसरी श्रेणी में रखा जा सकता है। सिन्थेटिक मावा, जानवरों की हड्डियों एवं चर्बी द्वारा घी बनाना जाना, यूरिया और डिटरजेंट जैसे घातक पदार्थों से दूध का निर्माण, चाय की पत्ती में लोहे और लकड़ी का बुरादा मिलाना आदि।

3- ik"kd rRok dk fudkyuk % मिलावट की तीसरी श्रेणी में उन खाद्य पदार्थों को रखा जा सकता है, जिनमें मूल पदार्थ में, किसी अन्य पदार्थ की मिलावट तो नहीं की जाती है, लेकिन उस पदार्थ में से कुछ पोषक तत्वों को निकाल लिया जाता है। ऐसे खाद्य पदार्थ की बिक्री मूल खाद्य पदार्थ की जगह की जाती है तथा इसकी जानकारी ग्राहकों को नहीं दी जाती है।

[kk| inkFkk e feykoV dh ifjHkk"kk

उपर्युक्त के आधार पर खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जा सकता है–

''किसी खाद्य पदार्थ में, उससे मिलते–जुलते किसी अन्य पदार्थ को मिलाना, उसमें से किसी पोषक तत्व को निकालना, अथवा उसमें किसी ऐसे हानिकारक पदार्थ की मिलावट करना, जिससे मूल खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में कमी, परिवर्तन या विकृति आ जाए, खाद्य पदार्थ में मिलावट कहा जा सकता है।''

[kk| inkFkksa esa feykoV ds dkj.k

बाजार में बेंची जाने वाली विभिन्न खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट के मुख्यतः दो कारण होते हैं–

¼1½ vR;f/kd ;k fo'k"k ykHk dh bPNk

¼2½ ykijokgh ;k /;ku u nsuk

1- vR;f/kd ;k fo'k"k ykHk dh bPNk

जब किसी व्यापारी या कारोबारी के मन में अधिक धन अर्जित करने की लालसा जाग्रत होने लगती है, तो वह अपनी नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों को दरकिनार कर अनैतिक तरीके से धन कमाने में संलिप्त हो जाता है। इसके लिए वह खाद्य पदार्थों में सस्ते व हानिकारक तत्वों की मिलावट कर उसे ग्राहकों को बेचता है।

2- ykijokgh ;k /;ku u nsuk

कई बार खाद्य पदार्थों में जानबूझ कर तो हानिकारक तत्वों की मिलावट नहीं की जाती है, परन्तु लापरवाही के कारण उसमें स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थों का मिश्रण हो जाता है। जैसे – गेहूं के साथ कीड़े और कंकड़ आदि का पिस जाना, सड़क किनारे के ढ़ाबों और होटलों में भोज्य पदार्थों के खुले रहने के कारण धूल और गंदगी का जाना आदि।

[kk|kUuksa esa fdu rRoksa dh feykoV dh tkrh gS \

बाजार में बिकने वाले विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों में सामान्यतः निम्नलिखित तत्वों की मिलावट की जाती है –

pkoy

- चावल में प्रायः, कंकड़ के छोटे टुकडे, धान की भूसी आदि मिलाया जाता है।

xsgw¡

- कंकड़ पत्थर, सूखे तिनके तथा टहनियों आदि को मिलाया जाता हैं।

Ikcr nky

- साबुत दालों में उसी रंग, रूप एवं आकार के कंकड़, तथा पत्थर आदि मिलाए जाते हैं।

nyh o /kyh nky

- दली और धुली दालों में टेल्कम पाउडर मिलाए जाते हैं, जिससे की वह ताजी व धुली लगें।

phuh

- चीनी में आमतौर पर चाक पाउडर मिलाए जाते हैं

xM

- गुड़ में मिट्टी और कंकड़ के अलावा, मैटानिल पीला रंग मिलाया जाता है।

'kgn

- शहद एक प्राकृतिक तत्व है। इसमें चीनी का गाढ़ा शीरा मिला कर बेंचा जाता है।

?kh

- शुद्ध घी में आमतौर पर वनस्पति घी या डालडा आदि की मिलावट की जाती है, लेकिन आजकल तो जानवरों की चर्बी एवं हड्डियों से घी बनाया जाने लगा है।

eD[ku

- मक्खन में उबले हुए आलू को अच्छी तरह से मसल कर मिलाया दिया जाता है।

n/k

- दूध में प्रायः पानी मिलाया जाता है। अब तो डिटरजेंट और केमिकल से भी दूध बनाया जाने लगा है। वहीं दूसरी तरफ दूध में से क्रीम निकाल लिया जाता है। जिससे दूध की गुणवत्ता कम हो जाती है।

Ijlk dk ry

- सरसों के तेल में प्रायः सस्ते तेलों की मिलावट की जाती हैं। इसके अलावा लाल मिर्च के पाउडर को कपड़े की पोटली में डालकर सरसों के तेल में कुछ

व्यवसाई डूबो देते हैं। इससे मिलावटी तेल में से असली तेल की तरह गंध आने लगती है।

pk; dh iRrh

- चाय की पत्ती में लोहे का चूरा या लकड़ी का बुरादा मिलाया जाता है। इसके अलावा कभी–कभी एक बार प्रयोग की गई चाय की पत्तियों को भी सुखाकर मिलाया जाता है। जिससे चाय की मात्रा बढ़ जाती है।

dkWQh

- कॉफी में चिकोरी के दानों के पाउडर, खजूर व इमली के बीजों को पीसकर मिला दिया जाता है।

gYnh

- हल्दी में मुलतानी मिट्‌टी और पीले रंग मिलाए जाते हैं।

fils Eklkys

- पिसे हुए मसालों में कंकड़, लकड़ी का बुरादा, गाय का गोबर, घोड़े की लीद आदि मिलाकर खुले में बेंचे जाते हैं।

dkyh fepZ

- काली मिर्च में पपीते के बीज की मिलावट की जाती है।

yky fepZ

- लाल मिर्च में पीसी हुई ईंट तथा कभी–कभी केमिकल आदि को मिला दिया जाता है।

thjk

- जीरा में कंकड़ व लकड़ी के अलावा, पौधों के तने आदि को रंग कर मिला दिया जाता है।

ykSx

- लौंग में लिप्टस के फूल जो प्रायः देखने में लौंग जैसे ही लगते हैं, मिलावट की जाती है।

इसके अतिरिक्त भी मिलावट के काले कारोबार में संलिप्त कारोबारियों और

व्यवसाईयों द्वारा अनेको हानिकारक और स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने वाले तत्वों की मिलावट की जाती है । अतः उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तुओं से सचेत और सावधान रहना चाहिए।

feykoVh [kk| inkFkk dk LokLF; ij D;k n"iHkko iMrk g\

मिलावटी खाद्य पदार्थ एक तरफ जहाँ उपभोक्ता के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसके द्वारा खर्च किए गए धन का पूरा मूल्य उसे नहीं मिल पाता। खाद्य पदार्थों में की जाने वाली मिलावट और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले उसके कुप्रभावों को निम्नलिखित चार्ट के माध्यम से समझा जा सकता है।

feykoV fd, tkus okys inkFk	[kk| inkFk ftue feykoV dh tkrh g	d|iHkko
पत्थर, मिट्टी, कंकड़, लकड़ी का बुरादा	खाद्यान्न, गुड़ एवं मसालों में	पेट की बीमारियाँ, आँतों पर दुष्प्रभाव
मैटानिल पीला रंग	जैली, आइसक्रीम, दाल, बेसन, हल्दी, गुड़, तथा अन्य पीले रंग के खाद्य पदार्थों में	प्रजनन संबंधी विकार, पेट की बीमारी, यकृत तथा गुर्दे के लिए घातक
केसरी दाल	चने की दाल, अरहर की दाल, बेसन, मूँग की पिसी दाल	केसरी दाल खाने से लकवा की संभावना अधिक रहती है
टेलकम पाउडर	दालों को पॉलिस कर चमकदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है	पेट की बीमारी, गुर्दे में पथरी, पेट का कैंसर
आर्जिमोन तेल	सरसों के तेल में आर्जिमोन के बीजों से निकाले गए तेल की मिलावट की जाती है	आँखों की बीमारी, आंशिक व पूर्ण अंधापन, ह्रदय संबंधी बीमारी

[kk| inkFkk e gku okyh feykoV dh tkp d rjhd

विभिन्न खाद्य पदार्थो में होने वाली मिलावट की जाँच निम्नलिखित विधियों से की जा सकती है। उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए यहाँ कुछ प्रमुख खाद्य पदार्थों में की जाने वाली मिलावट की पहचान के तरीके बताए जा रहे हैं, यह प्रयोग काफी आसान और सामान्य हैं, इसे घर में भी आसानी से कोई भी उपभोक्ता कर सकता है।

ljlk d rsy e feykoV dh tkp

परखनली में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर उसमें नाइट्रिक अम्ल की कुछ बूँदें डालिए। यदि तेल का रंग लाल हो जाए, तो समझिए की उसमें अर्जिमोन तेल की मिलावट की गयी है।

dsljh nky dh feykoV dh tkp

अरहर और चने की दाल में अगर केसरी की दाल मिलायी गयी है तो यह ध्यान से देखने पर आप को पता लग जाएगा। क्योंकि केसरी की दाल नुकीली और धंसे हुए आकार की होती है, जबकि अरहर और चने की दाल गोल व चपटी किस्म की होती है।

eVkfuy ihys jax d feykoV dh igpku

परखनली में थोड़ी सी दाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल डालिए और हिलाइए। फिर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर हिलाइए। यदि दाल में मैलानिल पीले रंग की मिलावट की गयी होगी तो उसका रंग गहरा लाल हो जाएगा।

pk; dh iRrh dh tkp

चाय की थोड़ी सी पत्ती लेकर उसमें चुंबक का स्पर्श कराइए, यदि पत्ती में लोहे का बुरादा मिला होगा तो वह चुंबक में चिपकने लगेगा।

dkQh dh tkp

सीसे की चौड़े मुँह की ग्लास में पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा कॉफी पाउडर डालिए। कॉफी पाउडर यदि शुद्ध होगा तो पानी पर तैरने लगेगा। यदि उसमें चिकोरी की मिलावट होगी तो भारी होने के कारण वह पानी के तल में बैठ जाएगा।

feykoVh [kk| inkFkk l dl cpk tk ldrk g\

यद्यपि, मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों से बाजार भरे–पड़े हैं, फिर भी यदि उपभोक्ताओं द्वारा कुछ सावधानियाँ बरती जाँय, तो वे मिलावटी तथा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले खाद्य पदार्थों की खरीददारी से बच सकते हैं। उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी जा रही है, जिसका प्रयोग कर कोई भी सामान्य उपभोक्ता जागरूक उपभोक्ता बन सकता है।

- सदैव विश्वसनीय दुकान से खाद्य पदार्थो की खरीददारी करनी चाहिए।
- खाद्य पदार्थ अथवा कोई अन्य उपभोग की वस्तु खरीदते समय उसकी पूरी जाँच–पड़ताल अवश्य करें।
- सामान खरीदते समय रसीद की माँग अवश्य करें। ऐसा करने से दुकानदार आप को घटिया या मिलावटी सामान देने से परहेज करेगा। साथ ही खाद्य पदार्थ में किसी प्रकार की कमी या मिलावट है, तो उसे बदलने में आसानी होगी और आवश्यकता पड़ने पर आप के पैसे भी वापस हो सकते हैं। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर साक्ष्य के रूप में भी आप इसे प्रस्तुत कर सकते हैं।
- किसी भी खाद्य पदार्थ को खरीदते समय उसके पैकेट पर मुद्रित उपभोग की अंतिम तिथि (एक्सपायरी डेट) अवश्य देख लें। बहुत से खाद्य पदार्थ जैसे, ब्रेड, दही, फलों के जूस या अन्य प्रकार के प्रसंस्करण कर बनाए गये खाद्य पदार्थ एक निश्चित समय के बाद उपभोग के लायक नहीं रह जाते हैं । इसका प्रयोग कर आप बीमार हो सकते हैं। अतः किसी भी पैकेट बंद खाद्य सामग्री को खरीदते समय विशेष रूप से इन बातों की जाँच– परख करें।
- खाद्य पदार्थ पर उसे बनाने वाली कंपनी का नाम, लॉट/बैच नम्बर, उसका शुद्ध वजन तथा उसे किन–किन तत्वों से मिलाकर बनाया गया है। इन सब बातों की जानकारी भी कर लेनी चाहिए।
- खुले खाद्य पदार्थों के प्रयोग और खरीददारी से जहाँ तक हो सके बचना चाहिए।
- सड़क किनारे ठेले या बेंडरों द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना हानिकारक हो सकता है। क्योंकि मोटर गाड़ियों के आवागमन से सड़क की धूल, मिट्टी उस खाद्य पदार्थ में मिलती रहती है। अतः ऐसे खाद्य पदार्थ के उपभोग से आप के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है।
- पैकेट बंद उत्पादों पर अंकित मानक चिह्न जैसे, बीआईएस, आईएसआई, एफपीओ, एगमार्क आदि को देखकर खरीदें। ऐसे उत्पाद जिन पर यह मानक चिह्न अंकित होते हैं, उनकी गुणवत्ता, शुद्धता, मात्रा आदि अच्छी होती है। क्योंकि सरकार द्वारा जाँच–पड़ताल करने के बाद ही उत्पादों को यह मानक चिह्न प्रदान किए जाते हैं, और इसकी नियमित निगरानी भी की जाती है।

[kk| l|j{kk vk|j miHkkDrk % dkuwuh i{k

भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोपरि मानते हुए तथा खाद्य उद्योग को नियंत्रित करने के लिए अनेक कानून, नियम, विनियम एवं संहिताएँ बनाई हैं। इन सब कानूनों का प्रमुख उद्देश्य, उपभोक्ता की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। पूर्व में लागू कानूनों में प्रमुख रूप से खाद्य अप–मिश्रण उन्मूलन अधिनियम, 1954 तथा नियम, 1955, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन लागू विभिन्न आदेश, कालाबाजारी अवरोधक एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1980, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986, एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार (एमआरटीपी) अधिनियम, 1969, शिशु दुग्ध एवं शिशु आहार अधिनियम, 1992, मीट फूड प्रोडक्ट्स आर्डर, 1973, वेजीटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स (रेगूलेशन) ऑर्डर, 1998, प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 आदि शामिल हैं। इसके अलावा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा अनेकों आदेश भी लागू हैं।

इन सब वैधानिक प्रावधानों के बावजूद, खाद्य उद्योग के लिए एक ऐसे एकीकृत कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो घरेलू और निर्यात दोनों ही बाजारों से संबंधित हो। साथ ही वह खाद्य पदार्थों के विनिर्माताओं (मैन्यूफैक्चर्स), भंडारन करने वाले व्यक्तियों, वितरकों, विक्रेताओं, और आयातकों को नियंत्रित करने के लिए, नीतियों का निर्धारण कर सके, जिससे कि उपभोक्ता को सुरक्षित खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए, भारतीय खाद्य व्यापार और उद्योग तथा अंतराष्ट्रीय व्यापार की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 23 अगस्त, 2006 को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 नामक एक नया कानून संसद द्वारा पारित किया गया।

[kk| l|j{kk vk|j ekud vf/kfu;e] 2006 d| mnn|';

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 को निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अस्तित्व में लाया गया–

- खाद्य क्षेत्र से संबंधित सभी प्रचलित कानूनों को एकीकृत करने के लिए
- खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करना, जिससे कि विज्ञान तथा पारदर्शिता पर आधारित खाद्य पदार्थों के मानक का निर्धारण हो सके
- खाद्य पदार्थों के विनिर्माताओं (मैन्यूफैक्चर्स), भंडारन करने वाले व्यक्तियों, वितरकों, विक्रेताओं, और आयातकों को नियंत्रित करने के लिए, नीतियों का निर्धारण करना

- उपभोक्ता को सुरक्षित खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए, भारतीय खाद्य व्यापार और उद्योग तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अपेक्षाओं को पूरा करना

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 : कुछ महत्वपूर्ण पहलू

- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के मुताबिक, राष्ट्रीय स्तर पर एक खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्थापित होगा। वर्तमान में इसकी स्थापना की जा चुकी है।
- इसके साथ ही, राज्यों में, खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना के प्रावधान किए गए हैं। यह राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाएंगे।
- राज्य सरकारें, राज्य में एक खाद्य सुरक्षा आयुक्त की नियुक्ति करेंगी, जो खाद्य सुरक्षा और मानकों तथा इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों की अपेक्षाओं का कार्यान्वयन करेंगे।
- इसके लिए स्थानीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी।
- अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक, फूड इंस्पेक्टरों की जगह खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति होगी, जो तकनीकी रूप से अधिक योग्य और दक्ष होंगे।
- इस अधिनियम में पंचायतों और स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी सुनिश्चित की गयी है।
- अधिनियम में ग्राहकों को भी यह अधिकार प्रदान है, कि वह किसी खाद्य का सैंपल लेकर उसका परीक्षण करा सकता है।
- अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक, खाद्य से संबंधित मामलों के निबटारे के लिए, राज्य सरकारें अधिसूचना द्वारा जिले में एक न्यायनिर्णयन अधिकारी की नियुक्ति कर सकती हैं। यह अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट स्तर का होगा।
- केन्द्र सरकार या राज्य सरकारें, अधिसूचना द्वारा एक या एक से अधिक ट्रिब्यूनल स्थापित कर सकती हैं, जिन्हें खाद्य सुरक्षा अपील ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाएगा।
- किसी उपभोक्ता की मृत्यु या उसको होने वाली गंभीर क्षति के मामलों के निबटारे के लिए, आवश्यकता समझे जाने पर केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन किया जा सकता है।
- इस अधिनियम के अधीन बनाए गए और लागू किए गए नियमों, विनियमों का

पालन नहीं करने वाले खाद्य कारोबारियों, व्यापारियों या अन्य किसी भी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी, इसमें अर्थदण्ड तथा कारावास दोनों शामिल हैं।

- यद्यपि इस अधिनियम में खाद्य क्षेत्र से संबंधित सभी अधिनियमों एवं आदेशों को एकीकृत किया गया है। फिर भी जब तक कि पूर्ण रूप से इसका क्रियान्वयन नहीं हो जाता, अन्य अधिनियम और आदेश लागू माने जाएंगे।
- इस अधिनियम के तहत देश में खाद्य मानकों का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा, कि वह अंतर्राष्ट्रीय मानकों की अपेक्षाओं को भी पूरा करें।
- खाद्य पदार्थों की जाँच के लिए, देश में पहले से मौजूद प्रयोगशालाओं का आधुनिकरण होगा तथा नए प्रयोगशाला स्थापित किए जाएंगे।
- इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी की ओर से जारी किए गए लाइसेंस या पंजीकरण के बिना, खाद्य कारोबार प्रारम्भ नहीं कर सकेगा। लेकिन, छोटे विनिर्माता, हॉकर, अस्थाई स्टाल धारक, जो खाद्य पदार्थ का स्वयं निर्माण और विक्रय करते हैं, उनके लिए यह अनिवार्य नहीं होगा। ऐसे कारोबारियों को नगरपालिकाओं अथवा पंचायतों में पंजीकरण करना होगा।

[kk| lqj{kk vkj ekud vf/kfu;e] 2006 d e|rkfcd miHkkDrk dku g\

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में उपभोक्ता को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है–

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार, ''उपभोक्ता का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति या कुटुम्ब से है, जो अपनी वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य पदार्थों का क्रय करते हैं या प्राप्त करते हैं।''

Hkkjrh; [kk| lqj{kk vkj ekud ikf/kdj.k

केन्द्र सरकार द्वारा, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के कार्यान्वयन के लिए, 5 सितम्बर, 2008 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना की गयी। इसे निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया।

- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए

- विज्ञान तथा पारदर्शिता पर आधारित खाद्य पदार्थों के मानक का निर्धारण करने के लिए
- खाद्य उद्योग को नियंत्रित करने के लिए
- खाद्य तथा प्रसंस्करण उद्योग के विनिर्माताओं, वितरकों, भंडारकों, विक्रेताओं तथा आयातकों के लिए नीतियों का निर्धारण करना तथा उसका कार्यान्वयन कराना
- बेहतर मानक का निर्धारण करना तथा उसकी निगरानी करना ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके
- देश के खाद्य तथा प्रसंस्करण उद्योग को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाना ताकि निर्यात को बढ़ावा मिल सके

Hkkjrh; [kk| lqj{kk vkj ekud izkf/kdj.k dh lajpuk

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की संरचना निम्नलिखित प्रकार की होती है–

- इसकी संरचना एक अध्यक्ष तथा बाईस सदस्यों से मिलकर पूरी होती है।
- इसमें एक तिहाई महिला सदस्यों का होना आवश्यक है।
- केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में सात पदेन सदस्यों की नियुक्ति होती हैं।

यह सदस्य निम्नलिखित मंत्रालयों, विभागों से संबंधित होते हैं–

1) कृषि
2) वाणिज्य
3) उपभोक्ता मामले
4) खाद्य प्रसंस्करण
5) स्वास्थ्य
6) विधिक मामले
7) लघु उद्योग

इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सलाहकार समिति की सलाह पर केन्द्र सरकार द्वारा अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। जो निम्नानुसार होते हैं–

- खाद्य उद्योग क्षेत्र से दो प्रतिनिधि, जिनमें एक लघु उद्योग से संबंधित होते हैं
- उपभोक्ता संगठनों से दो प्रतिनिधि
- तीन प्रख्यात खाद्य प्रौद्योगिकीविद् या वैज्ञानिक
- पाँच सदस्य, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, जिनके प्रत्येक तीन वर्ष के उपरान्त चक्रानुसारेण बदलते रहने का प्रावधान हैं
- कृषक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो व्यक्ति
- खुदरा विक्रेताओं के संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति

[kk| lqj{kk vkj ekud izkf/kdj.k dk v/;{k

- खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार द्वारा उस व्यक्ति को दी जाती है, जो खाद्य विज्ञान के क्षेत्र का प्रख्यात व्यक्ति हो

अथवा

- प्रशासनिक क्षेत्र का वह व्यक्ति जिसे संबंधित विषय में कार्य करने का अनुभव हो तथा जो सचिव स्तर के रहे हों अथवा वर्तमान में इस पद को धारण किए हुए हों।

v/;{k rFkk lnL;ksa dk dk;Zdky

- अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु होने तक होता है।
- सदस्यों का कार्यकाल भी तीन वर्ष का होता है, लेकिन 62 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद कोई भी सदस्य अपना पद धारण नहीं कर सकता है।
- अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल तीन वर्ष के लिए पुनः बढ़ाए जा सकते हैं।
- खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है।

[kk| lqj{kk vkj ekud izkf/kdj.k dk v/;{k rFkk lnL;ksa dks fdu ifjfLFkfr;ksa esa in ls gVk;k tk ldrk gS\

अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों को निम्नलिखित परिस्थितियों में पद से हटाया जा सकता है–

- पागल या दिवालिया होने पर
- शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होने पर

- पद का दुरूपयोग करने, जिससे लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो
- किसी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध होने पर

[kk| ikf/kdj.k d vf/kdkjh vkj deZpkjh

- केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है।
- यह भारत सरकार के अपर सचिव स्तर का अधिकारी होता है।
- यह खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का सदस्य सचिव होता है।
- खाद्य प्राधिकरण केन्द्र सरकार के अनुमोदन से अपने आवश्यकता के अनुसार अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करता है।
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें खाद्य प्राधिकरण द्वारा केन्द्र सरकार के अनुमोदन से तय किए जाते हैं।

e[; dk;Zikyd vf/kdkjh d nkf;Ro

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खाद्य प्राधिकरण का विधिक प्रतिनिधि होता है। प्रमुख रूप से उसके निम्नलिखित कार्य होते हैं–

- खाद्य प्राधिकरण के दिन–प्रतिदिन का प्रशासन देखना
- केन्द्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से खाद्य प्राधिकरण के कार्यों एवं कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव तैयार करना
- खाद्य प्राधिकरण के कार्यक्रमों एवं निर्णयों को कार्यान्वित करना
- वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल के लिए समुचित वैज्ञानिक, तकनीकी एवं प्रशासनिक समर्थन सुनिश्चित करना
- राजस्व और व्यय का विवरण तैयार करना और खाद्य प्राधिकरण के बजट का निष्पादन करना
- केन्द्रीय सरकार के साथ संपर्क विकसित करना और संबंधित समितियों से बातचीत करते रहना
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी का यह भी दायित्व है कि वह खाद्य प्राधिकरण के सभी वित्तीय व्यय का अनुमोदन करे तथा केन्द्र सरकार को प्राधिकरण के क्रियाकलापों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
- खाद्य सुरक्षा से संबंधित वस्तुओं पर कार्रवाई करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी को खाद्य सुरक्षा आयुक्त की शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं।

- मुख्य कार्यपालक अधिकारी को खाद्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर प्रशानिक नियंत्रण रखने का दायित्व होता है।

oKkfud iluy

- अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक वैज्ञानिक पैनल के स्थापना का प्रावधान है।
- इसमें स्वतंत्र विज्ञान विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाएगा।
- वैज्ञानिक पैनल अपने विचार–विमर्श के लिए उद्योग और उपभोक्ता प्रतिनिधि को आमंत्रित कर सकता है।
- खाद्य प्राधिकरण इन पैनल के अतिरिक्त भी आवश्यकता पड़ने पर अन्य वैज्ञानिक पैनल स्थापित कर सकता है।
- खाद्य प्राधिकरण को यह अधिकार प्राप्त है कि आवश्यकता समझने पर वह नए सदस्यों को जोड़कर या विद्यमान सदस्यों को हटाकर या पैनल के नाम में परिवर्तित कर वैज्ञानिक पैनल का पुनर्गठन कर सकता है।

oKkfud lfefr

- खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को वैज्ञानिक सलाह देने के लिए प्राधिकरण द्वारा एक वैज्ञानिक समिति के गठन का प्रावधान है।
- इस वैज्ञानिक समिति में विभिन्न वैज्ञाानिक पैनलों के अध्यक्ष और 6 स्वतंत्र विज्ञान विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं।
- इस समिति में सम्मिलित विज्ञान विशेषज्ञों का किसी भी वैज्ञानिक पैनल से संबंध नहीं होना चाहिए।
- वैज्ञानिक समिति खाद्य प्राधिकरण को वैज्ञानिक राय उपलब्ध करने के लिए उत्तरदायी होता है और उसे लोक सुनवाई आयोजित करने की भी शक्ति प्राप्त है।

[kk| lj{kk vkj ekud ikf/kdj.k d nkf;Ro ,o dk;

खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निम्नलिखित प्रमुख दायित्व और कार्य होते हैं–

- खाद्य प्राधिकरण का यह कर्तव्य होता है, कि वह खाद्य के विनिर्माण, वितरण, प्रसंस्करण, विक्रय और आयात के लिए नियम तथा विनियम बनाए तथा उसकी

निगरानी करे ताकि उपभोक्ता को स्वास्थ्यप्रद तथा सुरक्षित खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

- खाद्य पदार्थो के संबंध में मानक का निर्धारण करना।
- खाद्य कारोबार के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंध प्रणाली के प्रमाणन में लगे निकायों के लिए तंत्र और दिशा–निर्देश तैयार करना
- खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करना
- भारत में आयात किए जाने वाले खाद्य पदार्थ के संबंध में प्रक्रिया बनाना, गुणवत्ता का निर्धारण करना तथा उसे लागू कराना
- प्रयोगशालाओं के लिए प्रक्रिया और दिशा–निर्देश जारी करना
- खाद्य पदार्थों के नमूने लेने, उनका विश्लेषण करने आदि के संबंध में संबधित प्राधिकारियों से सूचना का आदान–प्रदान करना
- देश में इस अधिनियम के लागू होने और उसके प्रशासन का सर्वेक्षण करना
- खाद्य के लिए स्वस्थ, पोषण, विशेष आहार के लिए उपयोग आदि दावों के लिए लेबल लगाने संबंधी मानक का निर्धारण
- उन क्षेत्रों में जो खाद्य सुरक्षा और पोषण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रखते हैं, उनसे संबंधित नीति और नियम बनाने के विषय में केन्द्र और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी समर्थन देना

ukV% इसके अतिरिक्त भी कई महत्वपूर्ण कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं। जिसकी विस्तृत जानकारी प्राधिकरण कार्यालय अथवा उसकी वेबसाइट, www.fssai.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

[kk| lqj{kk vkj ekud vf/kfu;e] 2006 e n.M d dN egRoiw.k iko/kku

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ निम्नलिखित प्रकार की कार्रवाई हो सकती है।

- **,l [kk| inkFk d foØ; ij] tk Øsrk }kjk ekxh xb iÑfr vFkok rRo vFkok xq.k dk ugh g] D;k gk ldrk g**

– खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के मुताबिक, ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ जो क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, तथा जो इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए विनियमों का अनुपालन न करता हो अथवा ग्राहक द्वारा

मांगी गई प्रकृति या तत्व या गुण का न हो। ऐसे खाद्य पदार्थ को बेचना दण्डनीय है तथा ऐसा करने पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

- **voekud [kk| inkFk d fy, fdl rjg d n.M dk iko/kku g**

– इस अधिनियम में प्रावधान है, कि यदि कोई व्यक्ति जो स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ के विक्रय के लिए विनिर्माण, या मानव उपभोग के लिए भण्डारन, या विक्रय या वितरण या आयात किया जाता है, जो अवमानक है। ऐसे कृत्य को दण्डनीय माना जाएगा तथा इसके लिए दोषी व्यक्ति पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

- **Hkked ckM oky [kk| inkFk d fy, fdl rjg d tekus dk iko/kku g**

– खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय के लिए विनिर्माण, अथवा मानव उपभोग के लिए भण्डारन या वितरण या आयात किया जाता है, जिससे उस खाद्य पदार्थ के ब्रांडेड होने का भ्रम पैदा हो। दण्डनीय माना जाएगा। इसके लिए 3 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

ukV (ऐसी स्थिति में अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को त्रुटि के सुधारने, या ऐसे खाद्य पदार्थ को नष्ट करने का निर्देश जारी किया जा सकता है।)

å Hkked foKkiu d idk'ku ij fdruk tekuk gk ldrk g

इस अधिनियम में उल्लिखित है, कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे खाद्य पदार्थ के विज्ञापन का प्रकाशन करता है अथवा प्रकाशन का पक्षकार है, जिसमें–

1) खाद्य पदार्थ के बारे में मिथ्या वर्णन किया गया है।

अथवा

2) खाद्य पदार्थ की प्रकृति या तत्व या गुण के बारे में भ्रामक प्रचार किया गया है, अथवा गलत गारंटी दी गयी है। ऐसी स्थिति में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

- **[kk| inkFk e fdlh okg; inkFk d lkj rRo d feykoV dju ij fdruk tekuk yx ldrk g**

– खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ, जिसमें किसी वाह्य पदार्थ के सार की मिलावट हो, मानव उपभोग के लिए उसका

विनिर्माण या विक्रय या वितरण या आयात किया जाता है तो इसे अपराध माना जाएगा तथा इसके लिए 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

○ **[kk| lqj{kk vf/kdkjh d funs'kk dk vuqikyu ugh dju ij D;k gks ldrk g**

– खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई खाद्य वस्तुओं का कारोबारी अथवा आयातक बिना किसी उचित कारण के इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए विनियमों या दी गई व्यवस्थाओं या आदेशों के अधीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निर्देशित निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसे दोषी माना जाएगा तथा इसके लिए 2 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

○ **[kk| inkFk d vLokLF;dj ;k vLoPNdj okrkoj.k e i lqjdj.k vFkok fofuekZ.k dju ij fdl rjg d n.M dk izko/kku g**

– खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति स्वयं या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति मानव उपभोग के लिए किसी खाद्य पदार्थ का प्रसंस्करण अथवा विनिर्माण, अस्वास्थ्यकर या अस्वच्छकर वातावरण में करता है तो इस कृत्य को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा तथा इसके लिए दोषी व्यक्ति पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

○ **feykoVh [kk| inkFk d Hk.Mkju] vk;kr dju rFkk cpu ij fdl rjg d n.M dk izko/kku g**

– अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति स्वयं या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति विक्रय के लिए किसी मिलावटी खाद्य पदार्थ का विनिर्माण, आयात अथवा भण्डारन या वितरण या किसी भी प्रकार का मिलावट करता है, तो दोषी पाए जाने पर –

1) जहाँ मिलावटी पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं है, 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

2) जहाँ मिलावट की वजह से स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा हो, वहाँ 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

ukV% (ऐसी स्थिति में कार्रवाई के दौरान यह तर्क मान्य नहीं होगा कि आरोपित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए यह कृत्य कर रहा था। अतः उसे इसके लिए जिम्मेदार न माना जाय)

- **,l fdlh mYy?ku d fy, fdruk vFkn.M gk ldrk g] ftldk fufn"V mYy[k bl vf/kfu;e e micf/kr ugh g**

– खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं भी उपबन्धों का उल्लंघन करता है। जिसके लिए अधिनियम में अलग से कोई अर्थदण्ड उल्लिखित नहीं है, तो भी दोषी पाए जाने पर 2 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

- **vlqjf{kr [kk| inkFk d fy, fdl rjg d n.M dk iko/kku g**

– खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का जो असुरक्षित है, विक्रय के लिए विनिर्माण करता है, या भंडारन या विक्रय या वितरण या आयात किया जाता है, तो वह दण्ड का भागी होगा। ऐसी स्थिति में–

1) जहाँ, असुरक्षित खाद्य पदार्थ के परिणामस्वरूप किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है, वहाँ 6 माह तक का कारावास तथा 1 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
2) जहाँ, ऐसी असफलता या उल्लंघन के परिणामस्वरूप अधिक क्षति नहीं पहुँची है, वहाँ 1 वर्ष का कारावास तथा 3 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
3) जहाँ, ऐसी असफलता या उल्लंघन के परिणामरूवरूप घोर क्षति पहुँची है, वहाँ 6 वर्ष का कारावास तथा 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
4) और जहाँ, ऐसी असफलता या उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी की मृत्यु हो गयी हो, ऐसी स्थिति में दोषी व्यक्ति को आजीवन कारवास तथा कम से कम 10 लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।

lht fd, x, lkeku e gLr{ki dju ij n.M d iko/kku

यदि कोई व्यक्ति किसी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की अनुमति के बगैर, इस अधिनियम के अधीन सीज किए गए किसी खाद्य पदार्थ, वाहन, उपकरण, पैकेज या लेबल अथवा विज्ञापन सामग्री या अन्य वस्तुओं से छेड़छाड़ करता है, तो दोषी व्यक्ति को 6 माह का कारावास तथा 2 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।

feF;k ;k Hkked lpuk ;k nLrkot iLrr dju ij n.M d iko/kku

यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की किसी अपेक्षाओं या निर्देशों के संबंध में यह जानते हुए कि यह मिथ्या और भ्रामक है, कोई सूचना अथवा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में दोषी व्यक्ति को 3 माह तक का कारावास और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

[kk| l|j{kk vf/kdkjh d dke e ck/kk mRiUu dju ij n.M d iko/kku

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में उल्लिखित है, कि यदि कोई व्यक्ति खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य पालन में बिना किसी उचित कारण के, किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है, गतिरोध पैदा करता है अथवा धमकी देता है, हमला करने का प्रयास करता है या किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, तो उसे 3 महीने का कारावास और 1 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

fcuk ykbl l [kk| dkjkckj dju ij n.M d iko/kku

यदि कोई व्यक्ति या खाद्य पदार्थों का कारोबारी स्वयं या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति बिना लाइसेंस के किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का (जिसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है) का विनिर्माण, विक्रय, भंडारन अथवा वितरण या आयात करता है, तो इसे दण्डनीय माना जाएगा। ऐसी स्थिति में दोषी को 6 माह का कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।

ukV% (लेकिन यह उन व्यक्तियों एवं खाद्य कारोबारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के धारा 31 की उपधारा, (2) में उल्लिखित किया गया है।)

nk"kh }kjk i|u% vijk/k dju ij n.M d iko/kku

यदि किसी व्यक्ति पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन किसी दण्डनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध हो चुके हैं, और वह व्यक्ति दुबारा वैसा ही अपराध करता है तो –

1) दोषी व्यक्ति दुगुने दण्ड का भागी होगा।
2) जहाँ, अपराध के जारी रहने की बात हो, वहाँ दैनिक आधार पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यह अधिकतम 1 लाख रुपये तक हो सकता है।
3) उस व्यक्ति या कारोबारी का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

न्यायालय द्वारा अपराधी का नाम, उसके निवास का स्थान, उसके द्वारा किया गया अपराध और इसके लिए उसे जो दण्ड दिया गया है। इस सब बातों को अपराधी के ही खर्चे पर, समाचार पत्रों में या ऐसी ही किसी अन्य रीति से प्रकाशित किया जा सकता है। ऐसे प्रकाशन के व्यय दोषसिद्धि के खर्चे का भाग समझा जाएगा। इसे

जुर्माने के रूप में उसी तरह से वसूल किया जाएगा।

miHkkDrk dk gbl {kfr ;k eR;| dh n'kk e {kfr ifr dk iko/kku

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 65 में प्रावधान है, कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण या विक्रय या आयात की वजह से किसी उपभोक्ता को क्षति पहुँचती है तो पीड़ित या उसके कानूनी वारिस को दोषी व्यक्ति से निम्नलिखित प्रकार की क्षतिपूर्ति या आंतरिक राहत प्राप्त करने का अधिकार है।

1) उपभोक्ता की मृत्यु होने पर कम से कम 5 लाख रुपये

2) गंभीर क्षति होने की दशा में 3 लाख रुपये तक

3) किसी भी प्रकार की क्षति होने पर 1 लाख रुपये तक

ukV (1) अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक यह क्षतिपूर्ति पीड़ित को घटना घटित होने 6 महीने के भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए।

(2) उपभोक्ता की मृत्यु होने की दशा में मृतक के कानूनी वारिस को अंतरिम सहायता राशि घटना घटित होने के 30 दिन के भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए।

U;k;fu.k;u vkj [kk| lj{kk vihy fVC;uy

U;k;fu.k;u vf/kdkjh	[kk| lj{kk vihy fVC;uy	fo'k"k U;k;ky;
राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर न्यायनिर्णयन अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। यह अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट स्तर का होना चाहिए।	केन्द्र सरकार या राज्य सरकारें, अधिसूचना द्वारा एक या एक से अधिक ट्रिब्यूनल स्थापित कर सकती हैं, जिन्हें खाद्य सुरक्षा अपील ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाएगा।	उपभोक्ता की मृत्यु या उसको होने वाली गंभीर क्षति के मामलों के निबटारे के लिए, केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन किया जा सकता है।

[kk| inkFkk sa lacaf/kr fdlh idkj dk fookn gkus ij miHkksDrk D;k dj ldrk g\

- खाद्य से संबंधित किसी विवाद की स्थिति में, उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन संबंधित विनिर्माता, विक्रेता, वितरक, आयातक अथवा घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त या प्राधिकरण में शिकायत कर सकता है अथवा आपराधिक मुकदमा दायर कर सकता है।
- यदि उपभोक्ता के आस–पास नकली खाद्य उत्पादों का निर्माण, मिलावटी सामान तैयार किया जाना या इसी तरह के अन्य गैरकानूनी काम किए जा रहे हों तो इसकी सूचना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पुलिस या राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त या प्राधिकारी को दी जा सकती है।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन, उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
- प्रत्येक जिले में उपभोक्ता फोरम स्थापित है।
- उपभोक्ता फोरम की विस्तृत जानकारी उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार की वेबसाइट अथवा जिला सूचना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

ekMy Qke 1 &f'kdk;r nt djku ls igy ukfVl

उक्त में निम्नलिखित खराबियां हैं :

1 ————————————————————————————

2 ————————————————————————————

मैने कई बार आपको मामले की सूचना दी (पिछले पत्र, यदि कोई हो नाम और पता

——
——
——
——

(ट्रेडर, डीलर, फर्म कम्पनी आदि का पूरा पता)

के विषय में (विवरण देते हुए शिकायत वाले सामान या सेवाओं का उल्लेख करें)

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि मैने ———— रुपये के, ————बैंक में आहरित दिनांक——— के चैक संख्या—— के जरिए या आपके कैशमेमों, रसीद, इनवायस संख्या——— के प्रति नकद भुगतान किए गये———रुपये के प्रतिफल में आप के ——— से——खरीदा था।

हवाला दें) परन्तु मेरे सभी निवेदनों के बावजूद अपने सामान की खराबी या सेवा में होने वाली कमी की भरपाई नहीं की जो वास्तव में खेदजनक है और व्यवसाय सम्बन्धी व्यवहार के विरुद्ध है। आप के द्वारा की गयी कर्तव्य की अवहेलना और सामान को ठीक करने में विफल रहने तथा लापरवाही के कारण मुझे निम्नलिखित क्षति हुई है/राशि खर्च करनी पड़ी है।

——

(विवरण दें)

जिसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपसे अंततः एतद् द्वारा अनुरोध है कि :

(1) सामान में आयी उक्त खराबी को ठीक करें/या

(2) उसके बदले नया सामान दें या

(3) कीमत/ भुगतान किये गये प्रभार लौटाएं

(4) आपकी लापरवाही के कारण हुई वित्तीय हानि अथवा
क्षति व्याज की हानि के मुवावजे का भुगतान करें। ———————

(विवरण दें)

इस सम्बंध में ————————— प्रतिशत की दर से ————————रुपये की राशि का भुगतान इस नोटिस की प्राप्ति के ———— दिनों के अन्दर कर दें अन्यथा मै अपनी उपरोक्त शिकायत के निवारण के लिए और उपरोक्त धनराशि की वसूली के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के कानूनी उपबन्धों के अन्तर्गत शिकायत दायर करने के अलावा सिविल और फौजदारी दोनों अदालतों में, पूर्णतः आपके हर्जे, खर्च और जिम्मेदारी पर मुकदमा दायर करने के लिए बाध्य होऊंगा। इसे क पया नोट कर लिया जाए।

स्थान —————— हस्ताक्षर

तारीख —————— —————————

ekMy Qke 2& f'kdk;r

माननीय जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ———————— के समक्ष

या

माननीय राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन ————के समक्ष

या

माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन, नई दिल्ली के समक्ष

———————————— (पूरा नाम) ———————— (विवरण) ———————————— (पूरा पता) के मामले में 200——— की शिकायत संख्या ————— के विशय में

–शिकायतकर्ता

बनाम

(पूरा नाम) ———————————— (विवरण) ————————————

(पूरा पता) ————————————————————————————

विपक्षी पार्टी/पार्टियां

miHkkDrk lja{k.k vf/kfu;e] 1986 dh /kkjk 12@17@21 d vrxr f'kdk;r

सविनय निवेदन इस प्रकार है कि :

Hkfedk

(इस प्रारम्भिक पैराग्राफ में शिकायतकर्ता को अपना परिचय, विपक्षी पार्टी/पार्टियों का परिचय देना चाहिए।)

yu&nu

(इस पैराग्राफ मे शिकायतकर्ता को शिकायत वाले लेन–देन अर्थात ली गयी सेवाओं के विवरण, सामान की मदों/सेवा के स्वरूप व किस्म, खरीदे गये सामान/ली गयी सेवाओं की तारीख, सामान/सेवा के प्रति पूर्णतः अथवा अंशतः कीमत/प्रतिफल के रूप में भुगतान की गयी धनराशि, का विवरण देना चाहिए। बिल/कैशमेमों/वाउचर या रसीद की फोटो कापी संलग्न की जानी चाहिए और उन पर अनुलग्नक 1,2,3 आदि के रूप में उचित ढंग से अंकित किया जाना चाहिए।)

[kjkch@deh

(इस पैराग्राफ में शिकायतकर्ता को शिकायत स्पष्ट करनी चाहिए, अर्थात क्या हानि या क्षति किसी ट्रेडर द्वारा अपनाए गए अनुचित व्यापार व्यवहार या प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार द्वारा हुई है, या क्या सामान में कोई खराबी है या क्या सेवा में कोई कमी रही है या क्या ट्रेडर ने सामान की अधिक कीमत ली है। व्यक्ति को ट्रेडर द्वारा अपनाए गए अनुचित व्यापार व्यवहार का स्वरूप स्पष्ट करना चाहिए, जैसे सामान/सेवा की गुणवत्ता से संबंधित, प्रयोजनता, वायदा की गई अवधि के लिए वारंटी या गारंटी। सामान में होने वाली कमी की सीमा और स्वरूप को भी स्पष्ट करना चाहिए। अधिक कीमत लिये जाने के मामले में, व्यक्ति को चाहिए कि वह ट्रेडर द्वारा वसूल की गयी कीमत के मुकाबले समय–समय पर प्रवृत्त किसी कानून के अंतर्गत या उसके द्वारा निश्चित की गयी वास्तविक कीमत या सामान पर और उसके पैकिंग पर लिखी गई कीमत के विवरण का उल्लेख करें। जीवन और सुरक्षा के लिए खतरे वाले सामान की बिक्री के प्रस्ताव के खिलाफ भी शिकायत दायर की जा सकती है। आपको अपनी शिकायत का वर्णन करना चाहिए। इस बात से आश्वस्त हो जाना चाहिए, कि इसे संवेदनशील और व्यावहारिक न्यायाधीशों द्वारा पढ़ा जा रहा है। इस पर सुनवाई की जा रही है। संबंधित दस्तावेजों की फोटोप्रतियां संलग्न की जानी चाहिए।)

l;'kk/ku

(इस पैराग्राफ में शिकायतकर्ता को विशेष रूप से दर्शाना चाहिए कि मामले को सुलझाने के लिए उसने क्या प्रयास किया अर्थात व्यक्तिगत दौरे या समझौता वार्ता, लिखित में पत्र व्यवहार, यदि कोई हो, क्या कोई कानूनी नोटिस दिया गया और/या वह शिकायत के निवारण के लिए किसी अन्य एजेंसी जैसे सक्षम क्षेत्राधिकार वाले सिविल या फौजदारी अदालत के पास गया, उसकी कार्यवाही का चरण, उसका परिणाम, यदि कोई निकला, ऐसी कार्यवाहियों की प्रतियों सहित । ट्रेडर से प्राप्त हुए प्रत्युत्तर के स्वरूप, जब अनियमितताएं उसकी जानकारी में लाई जाएं, का जिक्र भी यहां किया जाना चाहिए।)

vU; micU/k

(इस पैराग्राफ में किसी अन्य कानून या नियम या प्रक्रिया विशेष के विनियम का हवाला दिया जाए जो इस मामले पर लागू हो और/या जिसका ट्रेडर द्वारा और कानून के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार का उल्लंघन किया गया हो। ऐसे प्रासंगिक कानूनी दायित्व भी होते हैं जो ट्रेडर को पूरे करने चाहिए और ऐसा न करने पर प्रथम दृष्टया मामला बनता है तथा फोरम इसका संज्ञान लेगा।)

Lkk{;

(इस पैराग्राफ में शिकायतकर्ता को उन दस्तावेजों और/या गवाहों का विवरण देना चाहिए, जिन्हें वह अपने मामले को साबित करने के लिए आधार बनाएगा। ऊपर किये गये उल्लेख के अनुसार अनुबंधों के रूप में संलग्न किये गए दस्तावेजों को उचित सूची में शामिल किया जाए और गवाहों की सूची, यदि कोई हो तो इसी प्रकार दाखिल की जाए। अनुबंधों को 'सत्य प्रतिलिपि' के रूप में अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए।)

{k=kf/kdkj

(इस पैराग्राफ में, शिकायतकर्ता को शिकायत में दावा निर्धारित करना चाहिए अर्थात 20 लाख रुपये तक, बीस लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक या उससे अधिक और फोरम/राज्य स्तरीय कमीशन/राष्ट्रीय कमीशन, जैसा भी मामला हो, का आर्थिक क्षेत्राधिकार दिया जाना चाहिए। किसी औपचारिक आपत्ति को दूर करने के लिए क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को प्रमुखता से दिखाया जाना चाहिए।)

ifjlheu

(इस पैराग्राफ में यह दिया जाना चाहिए कि मौजूदा शिकायत, अधिनियम की धारा 24 क के अंतर्गत निर्धारित अवधि के अंदर दायर की गई है।)

nkok dh xbZ jkgr

(इस पैराग्राफ में शिकायतकर्ता को उसके द्वारा दावा की गई राहत के स्वरूप का वर्णन करना चाहिए अर्थात सामान में होने वाली खराबी या सेवाओं में होने वाली कमी को दूर करने के लिए सामान के बदले नया सामान बदलना, भुगतान की गई कीमत या प्रभार लौटाना आदि और/या विपक्षी उसके हित के विपरीत मुआवजा। यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि आपने दावा किये गये मुआवजे की धनराशि का हिसाब कैसे लगाया है।)

izkFkuk okyk [kM

अतः सविनय निवेदन है कि माननीय फोरम/कमीशन कृपया .... (उस राहत का विवरण जो शिकायतकर्ता चाहता है कि न्यायालय उसे प्रदान करे।)

स्थान : .....

दिनांक : .....

शिकायतकर्ता .....

के जरिये

(वकील या उपभोक्ता
एसोसिएशन आदि)

LkR;kiu

मैं ..... उपरोक्त शिकायतकर्ता एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूँ कि मेरी उपरोक्त शिकायत की विषय–वस्तु, मेरी जानकारी के अनुसार सही और सत्य है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें किसी सारवान तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

दिनांक ..... को ..... (स्थान) में सत्यापित।

(शिकायतकर्ता)

टिप्पणी : हालांकि यह अनिवार्य नहीं है कि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के समर्थन में कोई ऐसा हलफनामा दाखिल करें जो आरोपों की सच्चाई और सत्यनिष्ठा की पुष्टि करता हो और मामले को विश्वसनीयता प्रदान करता हो। इसका स्टाम्प पेपर पर होना भी आवश्यक नहीं हैं। परन्तु इसे, उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गये किसी ओथ कमीश्नर से अनुप्रमाणित कराया जाना चाहिए। इसका फार्मेट सरल है।

ekMy Qke 3 &f'kdk;r dk leFkZu esa gyQukek

माननीय .... के समक्ष

दिनांक .... की शिकायत संख्या .... के विषय में।

.... शिकायतकर्ता

बनाम

.... विपक्षी पार्टी

के मामले में

gyQukek

श्री ....सुपुत्र..आयु .... निवासी .... का हलफनामा

1. कि मै उपरोक्त मामले में शिकायतकर्ता हूं, मौजूदा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से पूरी तरह परिचित हूॅ और इस हलफनामें में शपथ लेने के लिए सक्षम हूॅ। कि मेरी संलग्न शिकायत में दिए गए तथ्यों, जिनकी विषय–वस्तु संक्षिप्तता के कारण इसमें दोहराई नहीं गई है, को इस हलफनामें के एक अभिन्न भाग के रूप में पढा जाए और यह तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है।

शपथकर्ता

lR;kiu

मै .... उपरोक्त शिकायतकर्ता एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूॅ कि मेरी उपरोक्त शिकायत की विषय–वस्तु, मेरी जानकारी के अनुसार सही और सत्य है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें किसी सारवान तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

दिनांक .... को .... (स्थान) मे सत्यापित।

शपथकर्ता

ekMy Qke 4&VMj }kjk f'kdk;r dk mRrj

माननीय उपभोक्ता निवारण फोरम/कमीशनर .... के समक्ष

दिनांक .... की शिकायत संख्या .... के विषय में

.... शिकायतकर्ता

बनाम

.... विपक्षी पार्टी

के मामले में

सुनवाई की तारीख ....

f'kdk;rdrk dh f'kdk;r d mRrj e ifroknh dh vkj l fyf[kr c;ku

lfou; fuonu bl idkj g %&

ikjfHkd vkifRr;k

1. कि मौजूदा शिकायत पूरी तरह से गलत, निराधार और कानूनी दृष्टि से अमान्य है और इसलिए खारिज किए जाने योग्य है। प्रश्नाधीन लेनदेन किसी प्रतिफल के बिना और प्रभार मुक्त था।
2. कि इस माननीय फोरम/कमीशन को शिकायत से संबंधित विवाद पर विचार करने और न्यायनिर्णयन करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि यह कोई उपभोक्ता विवाद नहीं है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986, जिसे आगे इसमें उक्त अधिनियम कहा गया है, के उपबंधों के दायरे में नहीं आता और इस मामले की सुनवाई केवल सिविल न्यायालय द्वारा की जा सकती है और इसलिए यह शिकायत केवल इसी कारण से खारिज किए जाने योग्य है।
3. कि मौजूदा शिकायत में शिकायतकर्ता द्वारा उठाया गया विवाद स्पष्ट रूप से उक्त अधिनियम के दायरे से बाहर है और किसी भी स्थिति में यह अधिनियम ..... अधिनियम के उपबंधों के अतिरिक्त है न कि उसके विपरीत। इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गयी कार्यवाही पूरी तरह अमान्य और बिना क्षेत्राधिकार के है।
4. कि उक्त अधिनियम की धारा 2(1) में दी गयी 'शिकायतकर्ता' 'शिकायत' 'उपभोक्ता विवाद' और सेवा की परिभाशाएं मौजूदा विवाद के दावों को कवर नहीं करती और कि उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार शिकायतकर्ता उपभोक्ता नहीं है तथा शिकायत से संबंधित विवाद कोई 'उपभोक्ता विवाद' नहीं है।
5. कि मौजूदा शिकायत निराधार है और प्रतिवादी को परेशान करने तथा ब्लैकमेल करने के लिए कानूनकी प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है।
6. कि शिकायतकर्ता को मौजूदा कार्यवाही दायर करने की अधिकार प्राप्त नहीं है।
7. कि यह शिकायत, आवश्यक और उचित पार्टी के 'नान–ज्वाइंडर के कारण अनुपयुक्त है और केवल इसी कारण खारिज किए जाने योग्य है।
8. कि शिकायतकर्ता ने, सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में .....के लिए एक सिविल मुकदमा पहले ही दायर कर दिया है जो ..... के न्यायालय में निपटान के लिए लंबित है और मौजूदा शिकायत निष्फल हो गई है।

9. कि मौजूदा शिकायत परिसीमन द्वारा बाधित है।
10. कि इस माननीय फोरम/कमीशन को कोई क्षेत्रीय या आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है क्योकि इस मामले से संबधित धनराशि, उक्त अधिनियम की धारा 11(प), धारा 17(क) (प), और धारा 21(क) (प), में विनिर्धारित सीमा से अधिक/कम है।
11. कि मौजूदा शिकायत, सारहीन और चिढ़ाने वाली है और अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत खारिज किए जाने योग्य है।
12. कि मौजूदा शिकायत, कानून के द्वारा सत्यापित नहीं की गयी है।

x.k&nk"k d vk/kkj ij

इन पैराग्राफों में प्रतिवादी को, लगाए गए प्रत्येक आरोप और शिकायतकर्ता द्वारा दी गई वास्तविक तथा कानूनी दलीलों का उत्तर देना चाहिए। यदि उसने खराबी या कमी को ठीक कर दिया है तो इस संबंध में उठाये गये कदमों का विवरण दें। अन्य बातों के साथ–साथ वह अपने निम्नलिखित बचाव भी कर सकता है।

1. कि उपरोक्त विवाद के पक्षों के बीच किया गया लेनदेन वाणिज्यिक है और शिकायतकर्ता इस प्राधिकारी से किसी राहत का दावा नहीं क्योंकि .....
.....
.....
2. कि शिकायतकर्ता ने एक विक्रेता/रिटेलर/वितरक आदि के रूप में पुनर्बिक्री के लिए सामान खरीदा था और इसलिए आरोपित खराबी/कमी के लिए इस माननीय फोरम/कमीशन के पास आने से बाधित है क्योंकि .....
.....
..... (विवरण दें)
3. कि शिकायतकर्ता ने पहले ही वारंटी की अवधि का लाभ उठा लिया है जिसके दौरान उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने प्रश्नाधीन सामान की मरम्मत कर दी है/को बदल दिया है। इस प्रकार, शिकायतकर्ता पर यह शिकायत करने पर या अपनी गलती के कारण लाभ लेने पर कानूनी रूप से रोक है।
4. कि मौजूदा शिकायत इस तथ्य के बावजूद अत्याधिक अतिशयोक्तिपूर्ण है कि शिकायतकर्ता विलंब और गफलत के लिए स्वयं जिम्मेदार है क्योंकि उसने सामान की श्रेणी/फ्लैट की आवंटन योजना के प्रकार/वाहन के माडल आदि ..... के बारे में कई बार अपना विकल्प बदला है। (विवरण दें)
5. कि उत्तर देने वाले प्रतिवादी को उपरोक्त विवाद की विषय–वस्तु के लिए अतिरिक्त कीमत वसूल करने का पूरी तरह अधिकार है क्योंकि समय उसकी सुपुर्दगी के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। शिकायतकर्ता, उत्पाद शुल्क/बजटीय

प्रावधानों आदि में बढ़ोतरी हो जाने के कारण दिनांक ..... से बढ़ी हुई कीमत का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है क्योंकि .... (विवरण दें)

6. कि शिकायतकर्ता ने बिना कोई विरोध प्रकट किये मरम्मत/बदलने आदि के प्रति सामान/सेवा को स्वीकार कर लिया है और मौजूदा शिकायत केवल बाद में सोची गयी बात है।

7. कि किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उत्तर देने वाले प्रतिवादी, सद्भावना प्रदर्शन के रूप में ..... करने के लिए तैयार है। (किसी ऐसे संशोधन, यदि कोई हो, का विवरण दें जो अवयस्क या उपभोक्ता को होने वाली बर्दाश्त करने योग्य समस्या और मुकदमेंबाजी की समस्या के मामले में किया जा सकता हो।)

इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सेवा में होने वाले दोष/खराबी/लापरवाही और/या कमी के आरोप, असंगत और काल्पनिक होने के साथ–साथ पूरी तरह गलत, निराधार, मिथ्या और कानूनी दृष्टि से अमान्य है।

अनुरोध खंड और उसमें किए गये सभी अनुरोध पूरी तरह गलत हैं और जोर देकर उनसे इंकार किया जाता है। शिकायतकर्ता किसी भी प्रकार की राहत का हकदार नहीं है।

स्थान ..... ह

दिनांक ..... (विपक्षी पार्टी)

वकील के जरिए

IR;kiu

मै ..... उपरोक्त नाम वाला प्रतिवादी एतद् द्वारा सत्यापन करता हूँ कि गुणावगुण के आधार पर लिखित बयान के पैरा ..... से .... तक की विषय–वस्तु मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। जबकि गुणावगुणों के आधार पर प्रांरभिक आपत्तियों के पैरा ..... से .... मेरी सूचना, विश्वास और मेरे द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार सही है और मेरा विश्वास है कि वे सही हैं और अंतिम पैरा माननीय न्यायालय से किया गया अनुरोध है।

दिनांक ..... को ..... (स्थान) पर सत्यापित।

ह .....

(विपक्षी पार्टी)

Department of Consumer Affairs		
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India Krishi Bhawan, New Delhi – 110001 **Website:** fcamin.nic.in		
NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI		
5th Floor, 'A' Wing, & 7th Floor, 'B' Wing, Janpath Bhavan, Janpath, New Delhi 110 001 **email: ncdrc@nic.in** **Website: http://ncdrc.nic.in**		Fax No**:** 23712456 PBX No **:** 23712459, 23712109
Sl. No.	**State Commissions & Addresses**	**Phone No. (Office)**
1.	**Andhra Pradesh** State Consumer Disputes Redressal Commission, 'Eruvaka' Building, Kahairatabad, HYDERABAD – 500004 STD Code: 040 E-mail : ap-sforum@nic.in	23391273 23318456 Cell-986699899 23394399 23394399 23317040 Fax:23394399
2.	**Arunachal Pradesh** State Consumer Disputes Redressal Commission, Near Pawan Hans Office, (Old Secretariat Complex) Naharlagun, ITANAGAR STD CODE: 0360 E-mail : arp-sforum@nic.in	0360-2247661 - - 2248620 Fax :2350837
3.	**A & N Islands** State Consumer Disputes Redressal Commission, Dte of Civil Supplies, Civil Supplies Complex, PORT BLAIR-744102 STD CODE: 03192 E-mail : an-sforum@nic.in	246323 246323 246323 232321 Fax :232321

4.	**Assam** State Consumer Disputes Redressal Commission, Housefed Complex, Central Block, 5th Floor, Front Portion, Beltola Bashistha Road Guwahati – 781006 STD CODE: 0361 E-mail : asm-sforum@nic.in	2229766 Fax: 2631057
5.	**Bihar** State Consumer Disputes Redressal Commission, R-Block, Road No. 2, South of Daroga Prasad Rai Memorial Trust, Patna - 800001 STD CODE: 0612 E-mail: scdrc@sancharnet.in & bih-sforum@nic.in	2207394 2207394 2207394 2207395 Fax: 2207395
6.	**Chandigarh** State Consumer Disputes Redressal Commission, Plot No.5-B, Madhya Marg, Sector-19-B, Chandigarh –160 019 STD CODE: 0172 E-mail: stcomm@chd.nic.in & cdg-sforum@nic.in	2700183 Fax: 2784225 2700183 2700183 2700183
7.	**Chhattisgarh** State Consumer Disputes Redressal Commission, Behind New Bus Stand, Depot No.1, Pandri, Raipur- 492 004 STD Code : 0771 E-mail : chg-sforum@nic.in	2886604 Fax:2582904
8.	**Dadra & Nagar Haveli & Daman & Diu** State Consumer Disputes Redressal Commission, Department of Civil Supplies, Collectorate, DAMAN - 396220 STD CODE: 0260 Email : daman@guj.nic.in & dnh-sforum@nic.in	0260-2230689 0260-2230698 2230689 2230698 Fax 2230689
9.	**Delhi** State Consumer Disputes Redressal Commission, 'A' Block, First Floor, Vikas Bhawan, I.P. Estate, NEW DELHI –110 002 STD CODE: 011 Email: statecommission@vsnl.net & del-sforum@nic.in	23370258 23378644 23379146 23379146 23370799 Fax: 23378644

10.	**Goa** State Consumer Disputes Redressal Commission, Janta House, 1st Lift, 4th Floor, Vivekanand Road, PANAJI – 403 001 STD CODE: 0832 E-mail: gcdrc@goa.nic.in & goa-sforum@nic.in	2421792 Fax:2425365 2222466 2222466 2222466
11.	**Gujarat** State Consumer Disputes Redressal Commission, 4th Floor,' A' Block and Ground Floor, 'C' Block, Multi Story Building, Lal Darwaja, AHEMDABAD – 380001 STD CODE: 079 E-mail : guj-sforum@nic.in	25501623 25501624 Fax: 25501624 26442875 25501625 25501625
12.	**Haryana** State Consumer Disputes Redressal Commission, Bays No. 3 - 6, Sector – 4, PANCHKULA- 134 112, Haryana STD CODE: 0172 E-mail : har-sforum@nic.in	2567601 Fax:2567502 2566322 2566322 2567364
13.	**Himachal Pradesh** State Consumer Disputes Redressal Commission, Block No.33, 2nd Floor, H.P. Nagar Vikas Pradhikaran Commercial Building, Kusumpati, SHIMLA – 171 009 STD CODE: 0177 E-mail : hp-sforum@nic.in	2620854 Fax: 2622491 2620026 2620855 2620797 Fax: 2622491
14.	**J & K** State Consumer Disputes Redressal Commission, i) 3, Manda Hill, Rehari, Jammu Tavi, Jammu & Kashmir JAMMU ii) Near Municipality Office, Municipality Complex, SRINAGAR STD CODE: Jammu – 0191, Srinagar- 0194 E-mail : jk-sforum@nic.in	2545232 Fax: 2545232

15.	**Jharkhand** State Consumer Disputes Redressal Commission, Near High Court, Doranda, RANCHI - 834002 STD CODE: 0651 E-mail : jkh-sforum@nic.in	2480171 2481589 2481589 Fax: 2481589
16.	**Karnataka** State Consumer Disputes Redressal Commission, Basava Bhavan, High Grounds Basaveswara Circle, BANGALORE – 560001 STD CODE: 080 E-mai : karscdrc@kar.nic.in & kar-sforum@nic.in	22260590 22262865 22262865 22262865 22355065 22262865 Fax: 22260590
17.	**Kerala** State Consumer Disputes Redressal Commission, Sisuvihar Lane, Vazhuthacaud, THIRUVANANTHA-PURAM – 695 010. STD CODE: 0471 E-mail : ker-sforum@nic.in	2313158 2725158 2725157 2725157 Fax: 2725157
18.	**Lakshadweep** State Consumer Disputes Redressal Commission, C/o Assistant Controller of Legal Metrology, Department of Legal Metrology & Consumer Affairs, U.T. of Lakshadweep, KAVARATTI – 682555 STD CODE: 04896 E-mail : lak-accal@hub.nic.in & lak-sforum@nic.in	04896-262087 263852 Fax:263298 262087 262087 262087 Fax: 263298
19.	**Madhya Pradesh** State Consumer Disputes Redressal Commission Plot No.- 76, Arera Hills BHOPAL – 462 001 STD CODE: 0755 E-mail: scdrcbho@mp.nic.in & mp-sforum@nic.in	2554270 Fax:2554270 2763024 2763024 2763673 Fax : 2554270
20.	**Maharashtra** State Consumer Disputes Redressal Commission, Old Administrative Staff College Building., Opp. C.S.T. Station, Hazarimal Somani Marg, MUMBAI – 400 001 STD CODE: 022 E-mail : mah-sforum@nic.in	22072097 22057409 Fax:22018539 22094290 22072097 0712-2562259 0712-2562259

21.	**Manipur** State Consumer Disputes Redressal Commission, Department of Food & Civil Supplies, Sangaiprou, IMPHAL STD CODE: 0385 E-mail : man-sforum@nic.in	2220032 2220032 2220032 2220391 Fax: 2224173
22.	**Meghalaya** State Consumer Disputes Redressal Commission, Horse Shoe Building, Lower Luchumiere, SHILLONG – 793 001 STD CODE: 0364 E-mail : meg-sforum@nic.in	2222629 Fax:2222629 2222629 2225381 Fax:2222629
23.	**Mizoram** State Consumer Disputes Redressal Commission, Tuikhuahtlang, AIZWAL – 796 001 STD CODE: 0389 E-mail : miz-sforum@nic.in	2327754 Fax: 2341453
24.	**Nagaland** State Consumer Disputes Redressal Commission, Guwahati High Court, Kohima Bench, KOHIMA – 797 001 STD CODE: 0370 E-mail : nag-sforum@nic.in	2221686 2221661 2221661 2240206 2221505
25.	**Orissa** State Consumer Disputes Redressal Commission, Sector – 1, Near Sati Choura Chowk, C.D.A. Bidanasi, CUTTACK – 753 014 STD CODE: 0671 E-mail : ors-sforum@nic.in	2365398 Fax:2363604 2603604 2603604 2363604
26.	**Pondicherry** State Consumer Disputes Redressal Commission, Plot No.3, D.P. Thottam, Behind Hotel Sarguru, Muthialpet, T.V. Nagar, PONDICHERRY – 605 003 STD CODE: 0413 E-mail : scdrc@pondy.pon.nic.in & pon-sforum@nic.in	2213862 2213862 2213862 2213862, 2210503 Fax: 2252960

27.	**Punjab** State Consumer Disputes Redressal Commission, SCO Nos. 3009-3010, Sector – 22-D, CHANDIGARH-160 022 STD CODE: 0172 E-mail : pun-sforum@nic.in	2702962 Fax:2707062 2707062 2707062 2707062 2707062
28.	**Rajasthan** State Consumer Disputes Redressal Commission, Handloom Haveli, Ashok Marg, C-Scheme 1st Floor, JAIPUR- 302 001 STD CODE: 0141 E-mail : raj-sforum@nic.in	2371837 Fax:2372237 2360316 2360316 2372237
29.	**Sikkim** State Consumer Disputes Redressal Commission, Palzor Stadium Road, Near Sikkim Nationalised Transport, GANGTOK – 737 101 STD CODE: 03592 E-mail : sik-sforum@nic.in, Statecommission_sikkim@hub.nic.in	205027 Fax: 203529 225027 225027 225027
30.	**Tamilnadu** State Consumer Disputes Redressal Commission, Slum Clearance Board Building, II Floor, (Southern Wing), No.212, R.K. Mutt Road, Mylapore, CHENNAI – 600 004 STD CODE: 044 E-mail : scdrc@tn.nic.in & tn-sforum@nic.in	24640687 24640687 24640687 24640687 Fax:24618900
31.	**Tripura** State Consumer Disputes Redressal Commission, Ram Nagar Road No.1, AGARTALA – 799 002 STD CODE: 0381 E-mail : tri-sforum@nic.in	2225975 Fax: 2225975 2323514 2225975
32.	**Uttar Pradesh** State Consumer Disputes Redressal Commission, C-1, Vikrant Block – 1, Near Shaheed Path, Gomati Nagar, LUCKNOW – 226 010 STD CODE: 0522 E-mail : up-sforum@nic.in	2272983 2219484 Fax:2272970 2273419 2272983 2202292 2231457 2284167

33.	**Uttarakhand** State Consumer Disputes Redressal Commission, 2nd Floor, F.T.C. Building, District Court Compound, DEHRADUN – 248 001 STD CODE: 0135 E-mail : utr-sforum@nic.in	2722763 2722768 2714766, 2714089 Fax:2714089 2722768 2722768, 2722768
34.	**West Bengal** State Consumer Disputes Redressal Commission, 31, Belvedere Road, Bhabani Bhavan, (Ground Floor), Alipore, KOLKATA – 700 027 STD CODE: 033 E-mail : wb-sforum@nic.in	24790378 Fax:24794916 24799871 24799871 24799871 24799871 24794916

I inHk

1. Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India at www.mohfw.nic.in

2. Food Safety and Standard Authority of India at www.fssai.Gov.in

3. Centre for Consumer Studies, IIPA, New Delhi at www.consumereducation.in

4. *Ministry of Consumer Affairs,* Food & Public Distribution, Govt. of India at www.fcamin.nic.in

5. www.foodhaccp.com

6. www.foodsafetyindia.nic.in

7. www. *Indiatimes.com*

8. www.indiaenvironmentportal.org.in

9. S.N Mahindru, Food Safety Concept and Reality, 2009, A.P.H Publishing Cooperation, New Delhi

उपभोक्ता शिक्षा पुस्तक माला–11

खाद्य सुरक्षा एवं उपभोक्ता –विविध आयाम

प्रो. सुरेश मिश्रा
चेयर प्रोफेसर एवं कोआर्डिनेटर

वीरेन्द्र नाथ मिश्र
अनुसंधान अधिकारी

उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली 110002
वेब साइट : consumereducation.in
ई–मेल : ccs.iipa@gmail.com

© भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली 110002

2010

मूल्य : 50/रुपये

ISBN: 81-86641-39-4

सत्यमेव जयते

ik;ktd % miHkksDrk ekeys foHkkx] miHkksDrk ekeys ¼[kk| ,oa lkoZtfud forj.k e=ky;½ Hkkjr ljdkjA

उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा प्रकाशित एवं न्यू यूनाइटेड प्रोसेस A-26, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेस–II, नई दिल्ली–110028, फोन न. 25709125, में मुद्रित।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान

इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली–110 002 • दूरभाष : 23702400 (15 लाइन)

INDIAN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

INDRAPRASTHA ESTATE, RING ROAD, NEW DELHI-110002 (INDIA)

Bhartendra Singh Baswan
Director

iLrkouk

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान अंतर्गत 'उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र' **^[kk| lqj{kk ,o miHkksDrk&fofo/k vk;ke*** नामक पुस्तिका प्रकाशित कर रहा है। मुझे विश्वास है, कि यह पुस्तिका आम उपभोक्ता की खाद्य सुरक्षा से संबंधित जानकारी को बढ़ाने में सहायक और लाभप्रद होगी।

भारत जैसे देश में, खाद्य सुरक्षा के प्रति ग्रामीण जनता को जागरूक करने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि देश में प्रत्येक वर्ष, लाखों लोग असुरक्षित जल और भोज्य पदार्थ के उपभोग से बीमार पड़ते हैं और उन्हें 'जन और धन' के रूप में दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है।

इस उल्लेखनीय कार्य के लिए मैं लेखकों को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ, कि वे भविष्य में इस तरह की और पुस्तकें तैयार करेंगे, ताकि सामान्य उपभोक्ता को सचेत और सतर्क करते हुए, जागरूकता का प्रचार–प्रसार किया जा सके।

B. Baswan

(भारतेन्द्र सिंह बसवान)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 जून, 2010

vkeq[k

एक पुरानी कहावत है, ''जैसा अन्न, वैसा मन''। वास्तव में, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में, भोजन का सबसे प्रमुख स्थान है। व्यक्ति जब इस दुनिया में आता है, तो सबसे पहले उसे भूख की अनुभूति होती है। पोषक तत्वों से युक्त, समुचित भोज्य पदार्थों के उपभोग से उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। वहीं इसके विपरीत, असुरक्षित और मिलावटी खाद्य पदार्थों के उपभोग से न सिर्फ उपभोक्ता के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचता है, बल्कि उसके द्वारा खर्च किए गए पैसे का पूरा मूल्य भी नहीं मिल पाता। अतः उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूक करने की नितांत आवश्यकता है।

भारत सरकार द्वारा, उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अनेक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए पूर्व में, खाद्य सुरक्षा से संबंधित अनेक नियम, कानून एवं संहिताएँ बनाई गई हैं, इसी क्रम में, वर्ष 2006 में, 'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम' नामक एक अन्य महत्वपूर्ण कानून बनाया गया। इस कानून के माध्यम से खाद्य उद्योग के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों को नियंत्रित करने की कोशिश की गई है। लेकिन, मात्र कानून के माध्यम से ही उपभोक्ता को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकेगा ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए सभी को जागरूक होना पड़ेगा तथा अपने–अपने स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा। इसी तरह का एक छोटा सा प्रयास, हमारे द्वारा **^[kk| lqj{kk ,oa miHkksDrk&fofo/k vk;ke*** नामक इस पुस्तिका के माध्यम से किया गया है।

इस पुस्तिका में, खाद्य सुरक्षा से संबंधित कानूनी और जागरूकता दोनों ही पक्षों के विविध पहलुओं को आम आदमी की भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। आशा है, प्रस्तुत पुस्तिका, सामान्य उपभोक्ता की खाद्य सुरक्षा से संबंधित जानकारी को बढ़ाने में सहायक होगी।

हम, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार के सचिव, श्री राजीव अग्रवाल, अपर सचिव, श्री राकेश कक्कर, संयुक्त सचिव, श्री संजय सिंह, श्री जी.एन. श्रीकुमारन, निदेशक (सी.डब्लयू.एफ.) के विशेष आभारी हैं। साथ ही, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक, श्री भारतेन्द्र सिंह बसवान, प्रोफेसर एस.एस.सिंह (निदेशक, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, भोपाल) का आभार व्यक्त करते हैं, जिनका मार्गदर्शन हमें समय–समय पर प्राप्त होता रहता है। इसके अलावा, सहायक

प्रोफेसर सपना चढ्ढा, डॉ. ममता पठानिया, डॉ. अमित कुमार सिंह तथा पंकज कुमार सिंह का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग के बिना यह कार्य संभव नहीं था।

साथ ही हम उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में हमें सहयोग मिला है।

पुस्तिका को और उपयोगी बनाने हेतु पाठकों के सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : जून, 2010

सुरेश मिश्रा
वीरेन्द्र नाथ मिश्र